RCT/562/2022

09.12.2023

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1368/जिविसेप्रा/2023 उज्जैन दिनांक 04.12.2023 के अनुसार प्रकरण आज खण्डपीठ क्रमांक 33 के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

अभियुक्तगण सहित/द्वारा श्रीमती तारा भारती अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

आहत द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(2) एवं 320(1) द. प्र.सं. का प्रकरण में अभियुक्तगण से समझौता हो जाने के आधार पर राजीनामा करने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग–2 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है। भा0द0सं0 की धारा 323 एवं 506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का शमन द.प्र.सं. की धारा 320(1) के अंतर्गत न्यायालय की अनुमति के बिना ही शमन योग्य है। दण्ड विधि (म0प्र0 संशोधन) अधिनियम 2019 जो दिनांक 07.07.2022 से प्रभावशील है, के द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार धारा 294 भा0द0सं0. के अंतर्गत के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का शमन न्यायालय की अनुज्ञा के पश्चात ही किया जा सकता है।

आवेदन पत्र के अग्रषण में आहत अमर के राजीनामा कथन पूर्व में अंकित किये जा चुके है, प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

आहत द्वारा स्वतंत्र सहमति, बिना किसी भय, दबाब या प्रलोभन के शमन करना व्यक्त किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि आवेदक प्रस्तावित अपराध के शमन हेतु सक्षम पक्षकार है।

प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 294 भा.द.सं. के शमन की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण की संम्पूर्ण परिस्थितियो एवं धारा 320 (1) एवं 320 (2) द.प्र.सं. को दृष्टिगत रखते हुए एवं राजीनामा लोकहित में प्रतिकूल न होने से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। फलतः अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित अपराध अंतर्गत धारा 294, 323/34, 506 भा.द.सं. का शमन स्वीकार किया जाता है।

तद्नुसार द0प्र0सं0 की धारा 320(8) के आलोक में **अभियुक्त कमल पिता भागीरथ डोडिया, उम्र–32 वर्ष, निवासी–दुर्गापुरा, बिरलाग्राम, नागदा जिला उज्जैन एवं सुरेश पिता भागीरथ डोडिया, उम्र–37 वर्ष, निवासी–दुर्गापुरा, नागदा जिला उज्जैन** के विरूद्ध

अभियोजित भा.द.सं. की **धारा 294, 323/34 एवं 506** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है**।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भार–मुक्त कर निरस्त किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

यह खण्डपीठ उभयपक्ष को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निराकृत करने के लिये धन्यवाद प्रेषित करती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज सी.आई.एस. 3.2 साफ्टवेयर में दर्ज कर विधिवत् अभिलेखागार खाचरौद भेजा जावे।

(अधिवक्ता सदस्य)
अरूण चौहान

(अधिवक्ता सदस्य)
कु. शकुंतला बौरासी

(हिमांशु पालीवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
खण्डपीठ क्रमांक :–33
नागदा जिला उज्जैन (म0प्र0)

HIMANSHU PALIWAL

Digitally signed by HIMANSHU PALIWAL
Date: 2023.12.09 17:32:23 +0300